

दालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

नं० : 108/2023

नं० : फतेहसिंह पुत्र कोरसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. अंकित पुत्र धारासिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. अनिलकुमार पुत्र सन्तासिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
3. अलका पत्नी पवनकुमार जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
4. कृष्णा पत्नी शमसेर जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
5. किरणबाला पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
6. छोटूराम पुत्र केवलसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
7. डांगी पुत्र सन्तासिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
8. नत्थूराम पुत्र केवलसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
9. पूजा पत्नी धारासिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
10. प्रताप पुत्र केवलसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
11. विरमती पत्नी धारासिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
12. मायावती पत्नी गजेसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
13. राजकुमार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
14. राजबाला पत्नी मुकेश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
15. राजेश कुमार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
16. रितिका पुत्री मुकेश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
17. रौनक पुत्री मुकेश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
18. सुमन पत्नी राजेश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
20. उर्मिला पुत्री गजेसिंह जाति जाट C/O सुरतपुरा।

:- प्रतिवादीगण


आज यह वाद न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री मुंशीराम गोस्वामी एवं वकील प्रतिवादीगण श्री सुरजीत बिजारणिया की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी आंशिक साबित होने के कारण मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व भादरा आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा सुरतपुरा में अंकित पुत्र धारासिंह 8890/179640 हिस्सा, पूजा पुत्री धारासिंह 8890/179640 हिस्सा, विरमती पत्नी धारासिंह हिस्सा 6360/179640 हिस्सा, मायावती पत्नी गजेसिंह 17830/179640 हिस्सा, उर्मिला पुत्री गजेसिंह 8850/179640 हिस्सा, कृष्णा पत्नी शमशेरसिंह 26670/179640 हिस्सा, सुमन पत्नी राजेश 1270/179640, तीजादेवी पत्नी कोरसिंह 25970/179640 हिस्सा, फतेहसिंह पुत्र कोरसिंह 26670/179640 हिस्सा, डांगी पुत्र संतासिंह 8470/179640 हिस्सा, अनिल कुमार पुत्र सन्तासिंह 5350/179640 हिस्सा, राजबाला पत्नी मुकेश 5350/538920 हिस्सा, रौनक पुत्री मुकेश 5350/538920 हिस्सा, रितिका पुत्री मुकेश 5350/538920 हिस्सा, प्रताप पुत्र केवल 6740/179640 हिस्सा, नत्थू पुत्र केवल 6740/179640 हिस्सा, छोटूराम पुत्र केवल 1680/179640 हिस्सा, अलका पत्नी पवन

र 2530/179640 हिस्सा, राजेश कुमार पुत्र छोटूराम 2530/179640 हिस्सा, राजकुमार
छोटूराम 2530/179640 हिस्सा, किरणबाला पत्नी महेन्द्रसिंह 6320/179640 हिस्सा

काशतकार घोषित किये जाते है।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के हरन है तो रहन संबंधित काशतकार के
हित हिस्से पर शिफ्ट किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड
रिक्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह आंशिक पर्चा डिक्री आज दिनांक 15.04.2025 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय
मुद्रा से जारी की गई।


(कल्पित शिवरान) R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़



सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी : श्री कल्पित शिवरान आरएएस

क्रमांक : 108/2023

प्रतिवादी : फतेहसिंह पुत्र कोरसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।

:- वादी

बनाम

1. अकित पुत्र धारासिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
2. अनिलकुमार पुत्र सन्तासिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
3. अलका पत्नी पवनकुमार जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
4. कृष्णा पत्नी शमसेर जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
5. किरणबाला पत्नी महेन्द्रसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
6. छोटूराम पुत्र केवलसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
7. डांगी पुत्र सन्तासिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
8. नत्थूराम पुत्र केवलसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
9. पूजा पत्नी धारासिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
10. प्रताप पुत्र केवलसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
11. वीरमती पत्नी धारासिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
12. मायावती पत्नी गजेसिंह जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
13. राजकुमार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
14. राजबाला पत्नी मुकेश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
15. राजेश कुमार पुत्र छोटूराम जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
16. रितिका पुत्री मुकेश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
17. सौनक पुत्री मुकेश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
18. सुमन पत्नी राजेश जाति जाट निवासी सुरतपुरा तहसील भादरा।
19. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।
20. उर्मिला पुत्री गजेसिंह जाति जाट C/O सुरतपुरा।

:- प्रतिवादीगण

दावा बाबत : इस्तकरार हक

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री मुन्शीराम गोस्वामी : वादी

वकील श्री सुरजीत बिजारणिया : प्रतिवादी सं0 1 ता 18 व 20

निर्णय

दिनांक : 15.04.2025

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार हैं कि रोही मौजा सुरतपुरा के खाता सं0 88/54 के मु0न0 114 के कि0नं0 21, 22, मु0न0 125 के कि0न0 6 ता 21, 22/1, 22/2, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25/1, 25/2 मु0न0 126 के कि0न0 1 ता 4, 6 ता 25 मु0न0 127 के कि0न0 1 ता 4, 5, 6, 7 ता 14, 15, 16, 17 ता 20, 23/1, 24, 25 मु0न0 128 के कि0न0 6 15, 16 कुल किता 76 की कुल 17.964 है0 बारानी वादभूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादभूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 18 तथा 20 व स्व0 तीजादेवी के पत्नी कोरसिंह के प्रत्येक के नाम से 1/21 हिस्सा के अनुसार दर्ज हो गई जबकि उक्त वादभूमि में प्रत्येक खातेदार बराबर बराबर का हिस्सेदार न होकर उनकी हिस्साकस्सी अलग अलग है। उक्त वादभूमि में कुछ खातेदार मूल तथा कुछ खातेदार खरीददार है। परन्तु रिकार्ड में सभी खातेदारान के नाम समान हिस्सा गलत रूप से दर्ज होने से वादी अपने खातेदारी हकों का उपयोग नहीं कर पा रहा है। सहखातेदार तीजा देवी का देहांत हो चुका है जिसके वारिसान दावा में प्रतिवादीगण के रूप में पक्षकार है। पूर्व में उक्त वादभूमि अन्य कृषि भूमि के साथ मुश्तर्का खातेदारी हुआ करती थी जिसमें मु0 न0 127 के

5, 6, 15, 16, 25 प्रत्येक किला की 18-18 बिस्वा अर्थात 0.240 -0.240 है0 हुआ
 थी परन्तु खाता तकशीम क नामान्तरण करते समय उक्त किलेजात की भूमि 0.240 की
 0.253-0.253 है0 दर्ज कर दी गई जिससे खातेदारान के हिस्सा प्रभावित हो गया
 में वादी फतेहसिंह का 2.6567 है0, प्रतिवादी अंकित का 0.8855 है0, प्रतिवादी
 अनिलकुमार 0.5313 है0, प्रतिवादी अलका 0.253 है0, प्रतिवादी उर्मिला 0.8855 है0 प्रतिवादी
 कृष्णा 2.6567 है0, प्रतिवादी किरणबाला 0.6325 है0, प्रतिवादी छोटूराम 0.1686 है0, प्रतिवादी
 तीजादेवी 0.8351 है0, स्व0 तीजादेवी पत्नी कोरसिंह 2.6566 है0, प्रतिवादी नत्थु 0.6747 है0
 प्रतिवादी प्रताप 0.6747 है0, प्रतिवादी पूजा 0.8855 है0, प्रतिवादी वीरमती 0.6326 है0, प्रतिवादी
 मायावती 1.771 है0, प्रतिवादी राजकुमार का 0.253 है0, प्रतिवादी राजबाला 0.1771 है0, प्रतिवादी
 राजेश कुमार 0.253 है0, प्रतिवादी रितिका का 0.1771 है0, प्रतिवादी रौनक का 0.1771 है0 व
 सुमन प्रतिवादी सुमन पत्नी राजेश का 0.1265 है0 अनुसार खातेदार काश्तकार है। चूकि वाद
 में वादी व प्रतिवादीगण का हिस्सा विवादित दर्ज है। इसलिये उपरोक्त हिस्साकसी के
 अनुसार घोषणा की जाकर अर्जीदावा डिक्री किये जाने का अर्जीदावा पेश किया है। सम्मन
 मिल होने के उपरान्त प्रतिवादी सं0 1 ता 18 व 20 की ओर से वकील हाजिर आयें।

वादभूमि बाबत तहसीलदार भादरा से रिपोर्ट ली गई मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार
 राजस्व भादरा पत्रांक भू0अ0/25/233 दिनांक 28.03.2025 प्राप्त हुई। तहसीलदार द्वारा प्राप्त
 रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत
 स्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वकील वादी एवं वकील
 प्रतिवादीगण ने मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के राजस्व रिकार्ड में संशोधन को लेकर सहमति
 दर्ज की एवं मुताबिक तहसीलदार रिपोर्ट के दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।
 मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार राजस्व भादरा के अनुसार वाद भूमि रोही मौजा सुरतपुरा में
 अंकित पुत्र धारासिंह 8890/179640 हिस्सा, पूजा पुत्री धारासिंह 8890/179640 हिस्सा,
 वीरमती पत्नी धारासिंह हिस्सा 6360/179640 हिस्सा, मायावती पत्नी गजेसिंह 17830/179640
 हिस्सा, उर्मिला पुत्री गजेसिंह 8850/179640 हिस्सा, कृष्णा पत्नी शमशेरसिंह 26670/179640
 हिस्सा, सुमन पत्नी राजेश 1270/179640, तीजादेवी पत्नी कोरसिंह 25970/179640 हिस्सा,
 फतेहसिंह पुत्र कोरसिंह 26670/179640 हिस्सा, डांगी पुत्र संतासिंह 8470/179640 हिस्सा,
 अनिलकुमार पुत्र सन्तासिंह 5350/179640 हिस्सा, राजबाला पत्नी मुकेश 5350/538920
 हिस्सा, रौनक पुत्री मुकेश 5350/538920 हिस्सा, रितिका पुत्री मुकेश 5350/538920 हिस्सा,
 प्रताप पुत्र केवल 6740/179640 हिस्सा, नत्थु पुत्र केवल 6740/179640 हिस्सा, छोटूराम पुत्र
 केवल 1680/179640 हिस्सा, अलका पत्नी पवन कुमार 2530/179640 हिस्सा, राजेश कुमार
 पुत्र छोटूराम 2530/179640 हिस्सा, राजकुमार पुत्र छोटूराम 2530/179640 हिस्सा,
 किरणबाला पत्नी महेन्द्रसिंह 6320/179640 हिस्सा खातेदार काश्तकार होने की घोषणा की
 जावें। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक तहसीलदार राजस्व भादरा की रिपोर्ट के आधार पर
 काबिल स्वीकार होने पर आंशिक स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक तहसीलदार राजस्व भादरा की
 रिपोर्ट के अनुसार आंशिक डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा
 सुरतपुरा में अंकित पुत्र धारासिंह 8890/179640 हिस्सा, पूजा पुत्री धारासिंह 8890/179640
 हिस्सा, वीरमती पत्नी धारासिंह हिस्सा 6360/179640 हिस्सा, मायावती पत्नी गजेसिंह
 17830/179640 हिस्सा, उर्मिला पुत्री गजेसिंह 8850/179640 हिस्सा, कृष्णा पत्नी शमशेरसिंह
 26670/179640 हिस्सा, सुमन पत्नी राजेश 1270/179640 हिस्सा, तीजादेवी पत्नी कोरसिंह
 25970/179640 हिस्सा, फतेहसिंह पुत्र कोरसिंह 26670/179640 हिस्सा, डांगी पुत्र संतासिंह
 8470/179640 हिस्सा, अनिलकुमार पुत्र सन्तासिंह 5350/179640 हिस्सा, राजबाला पत्नी
 मुकेश 5350/538920 हिस्सा, रौनक पुत्री मुकेश 5350/538920 हिस्सा, रितिका पुत्री मुकेश

530/538920 हिस्सा, प्रताप पुत्र केवल 6740/179640 हिस्सा, नत्थू पुत्र केवल
740/179640 हिस्सा, छोटूराम पुत्र केवल 1680/179640 हिस्सा, अलका पत्नी पवन कुमार
530/179640 हिस्सा, राजेश कुमार पुत्र छोटूराम 2530/179640 हिस्सा, राजकुमार पुत्र
छोटूराम 2530/179640 हिस्सा, किरणबाला पत्नी महेन्द्रसिंह 6320/179640 हिस्सा खातेदार
कास्तकार घोषित किये जाते हैं।

किसी भी खातेदार का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन संबंधित कास्तकार के
बन्धित हिस्से पर शिफ्ट किया जावे। इसी अनुसार आंशिक पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय आज दिनांक 15.04.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में
पुनाया गया।



(कल्पित शिबिरान)RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़